

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

पत्रांक: 779 /14-1

दिनांक, एटा, अक्टूबर 11, 2017

सेवा में,

1-अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, एटा उ0प्र0।

2-अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कासगंज, उ0प्र0।

विषय एटा-कासगंज मार्ग एवं बरेली-मथुरा मार्ग का लोक निर्माण विभाग द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु एटा में किमी0 0 से 20 तक 22.80 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 2435 वृक्षों के पातन तथा कासगंज में एटा-कासगंज मार्ग पर किमी0 21 से 24.3 तक बरेली-मथुरा मार्ग किमी0 145 से 161.5 तक 24.008 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 3234 वृक्षों के पातन विषयक परियोजना में कुल 46.808 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 5669 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्र संख्या 8बी/यू.पी./06/32/2017/एफ.सी./414 दिनांक 26.09.2017 व इस कार्यालय के पत्रांक 738/14-1 दिनांक 04.10.2017

महोदय,

उक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा उक्त विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री एस0पी0 सिंह, सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, कासगंज से उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है:-

बिन्दु सं0 1- Cost Benefit analysis को अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है जिसे फार्म A के पार्ट I में अपलोड यूजर एजेन्सी द्वारा किया जाना है।

बिन्दु सं0 2- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु संशोधित 10 हे0 क्षेत्रफल स्थल की के0 एम0 एल0 फाइल व एस्टीमेट ऑनलाइन अपलोड किये जाने की कार्यवाही कासगंज प्रभाग से सम्बन्धित होने के कारण कासगंज वन प्रभाग में प्रस्तुत किया जाना है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही शीघ्र करने का कष्ट करें जिससे कि इस प्रभाग से उक्त प्रस्ताव आन लाइन अग्रेषित किया जा सके।

भवदीय

(ए0के0 कश्यप)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग,

एटा।

पत्रांक 779 /14-1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन 17, राणा प्रताप मार्ग उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज, वन प्रभाग कासगंज को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु संशोधित क्षेत्र की के0एम0एल0 फाइल व एस्टीमेट आनलाइन अपलोड करने सम्बन्धी कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।

(ए0के0 कश्यप)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग,

एटा।